

## प्रेसनोट दिनांक 05.08.2022

1. दिनांक 04.08.22 को वादी श्री श्रीनाथ वर्मा पुत्र भोलाराम वर्मा नि० मोहिद्दीनपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या उम्र 45 वर्ष द्वारा सूचना दिया गया कि उमानाथ वर्मा पुत्र भोलाराम नि० मोहिद्दीनपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 369/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 04.08.22 को वादी श्री दिनेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कुबेर सिंह उर्फ अभ्युदय सिंह उर्फ दादा पुत्र मृत्युन्जय सिंह उर्फ मुन्ना सिंह नि० पूराबाजार थाना महाराजगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 296/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 04.08.22 को वादी श्री धर्मराज कहार पुत्र मुन्ना नि० शंकरपुर थाना को० बीकापुर अयोध्या उम्र 40 वर्ष द्वारा सूचना दिया गया कि संतोष सिंह पुत्र पुत्तन सिंह नि० शंकरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 314/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 04.08.22 को वादी श्री शशिकान्त यादव प्र०नि० को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. देशराज रावत पुत्र स्व० रामलखन रावत 2.ईश्वरलाल पुत्र स्व० रामलखन रावत 3.उदयराज पुत्र स्व० रामलखन नि०गण बहरास थाना को०रुदौली अयोध्या सभी पूर्व से जेल में अभि०गण द्वारा एक गैंग बनाकर अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु मुकदमा में सुलह करने की बात को लेकर समाज के लोगो को मारपीट कर हत्या जैसे अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 362/22 धारा 3(1)यू०पी० गैगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।